अध्याय–II : प्राप्तियां लेखापरीक्षा

वाहनों पर कर

2.1 कर प्रशासन

केंद्रीय एवं राज्य मोटरयान अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत बनाये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत देय मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) द्वारा प्रशासित होती है । परिवहन आयुक्त सह शासन सचिव राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग (विभाग) के प्रमुख है तथा इनकी सहायता के लिए छः अतिरिक्त परिवहन आयुक्त और चार उप परिवहन आयुक्त है । सम्पूर्ण राज्य को 12 परिवहन क्षेत्रों[1] में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सह पदेन सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होते हैं । इसके अतिरिक्त, 54 परिवहन जिले[2] हैं, जिनके प्रमुख जिला परिवहन अधिकारी होते हैं ।

क्षेत्र में परिवहन गतिविधियों का सम्पूर्ण प्रशासन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी में निहित होता है । वह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी भी है । परिवहन जिले के लिए लाइसेंसिंग और पंजीयन प्राधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी होता है । वह राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम/नियम, 1951 के उद्देश्यों के लिए कराधान अधिकारी भी है ।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक आवश्यक अंग है । अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए परिवहन कार्यालयों में संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है ।

आंतरिक लेखापरीक्षा की विगत पांच वर्षों की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है:

---

1 क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर ।

2 जिलेः आबू रोड़, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवाडी, बूंदी, चौमू, चूरू, डीडवाना, धौलपुर, दूदू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंजमंडी, सवाईमाधोपुर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, श्रीगंगानगर, सुजानगढ़, टोंक, रतनपुर (टीसीसी), शाहजहाँपुर (टीसीसी) तथा क्षेत्रीय स्तर पर 12 जिले ।

तालिका 2.1

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिए लम्बित इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिए बकाया कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	इकाइयां जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई	कमी प्रतिशत में
2015-16	10	57	67	66	1	1.49
2016-17	1	57	58	50	8	13.79
2017-18	8	57	65	44	21	32.31
2018-19	21	57	78	71	7	8.97
2019-20	7	58	65	65	0	0.00

स्रोतः परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएं।

वर्ष 2019-20 में विभाग ने बकाया सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली। यद्यपि वर्ष 2015-16 से 2018-19 में एक इकाई से 21 इकाइयों तक की आंतरिक लेखापरीक्षा बकाया रही।

वर्ष 2019-20 के अंत तक कुल 7,326 आंतरिक लेखापरीक्षा अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2

वर्ष	2014-15 तक	2015-16 (अनुपूरक सहित)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
अनुच्छेद	2,135	1,710	760	624	917	1,180	7,326

स्रोतः परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएं।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2,135 अनुच्छेद (29.14 प्रतिशत) पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया थे। बकाया अनुच्छेदों की अधिक संख्या यह इंगित करती है कि आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये आक्षेपों की प्रभावी अनुपालना में विभाग असफल रहा। इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा का वास्तविक प्रयोजन उस सीमा तक प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उठाये गये बकाया आक्षेपों के शीघ्र निपटान के लिए विभाग को समुचित अनुदेश जारी कर सकती है।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों के अधीन 52 परिवहन जिले हैं एवं मार्च 2019 के अंत तक इनमें 1,77,09,949 वाहन पंजीकृत थे। विभाग में 23 कार्यान्वयन इकाइयों सहित कुल 83 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। इनमें से, 16 इकाइयां नमूना जांच हेतु चुनी गईं जिनमे 70,61,486 वाहन पंजीकृत थे। इनमें से, 46,468 वाहन नमूना जांच हेतु चुने गए। लेखापरीक्षा में जांच के दौरान 7,409 प्रकरणों में कर, अधिभार एवं शास्ति आदि से संबंधित राशि ₹ 15.28 करोड़ की कम/अवसूली देखी गयी। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पिछले वर्षों में भी बतायी गई थीं परन्तु ये अनियमितताएं न केवल कायम हैं अपितु लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं की गयी थी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं तथा अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग में मौजूद कर

लेखांकन की प्रणाली की निगरानी समुचित नहीं थी जिसके कारण कर का सही संग्रहण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे वाहन, जिनके विरूद्ध कर बकाया था परन्तु वसूल नहीं किया गया था, की संख्या दर्शाने हेतु कोई भी विवरणी निर्धारित नहीं थी। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही आतंरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने की एवं कर, शुल्क, इत्यादि का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए आवधिक विवरणियों के माध्यम से एक निगरानी तंत्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता थी। पायी गयी अनियमिततायें मुख्यतः **तालिका 2.3** में दी गयी श्रेणियों में आती है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर, शास्ति, ब्याज एवं कंपाउंडिंग शुल्क आदि का भुगतान नहीं करना/कम भुगतान करना	2,016	14.74
2	कर का अनिर्धारण/कम निर्धारण, मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना आदि से सम्बंधित अनियमिततायें	5,384	0.33
3	अन्य अनियमिततायें (व्यय से संबंधित)	9	0.21
योग		**7,409**	**15.28**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 6,566 प्रकरणों में ₹ 22.51 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 9.02 करोड़ के 4,214 प्रकरण वर्ष 2019-20 में की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, 1,074 प्रकरणों में ₹ 4.70 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसमें से ₹ 0.94 करोड़ के 155 प्रकरण वर्ष 2019-20 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गए थे।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण जिनमें राशि ₹ 6.20 करोड़ निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

2.4 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इनके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार सभी परिवहन वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा उपयोग हेतु रखे गए हों, पर मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है सिवाय उन परिवहन वाहनों के जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एकमुश्त कर का भुगतान किया है। अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार, देय कर पर 10 अक्टूबर 2017 तक पर पांच प्रतिशत की दर से एवं इसके उपरान्त अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार 6.25 प्रतिशत की दर से अधिभार देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात् देय कर की रकम के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित होगी।

सात परिवहन कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2019 और मार्च 2020 के मध्य) के दौरान कर खातों और जनरल इंडेक्स रजिस्टर की वाहन[4] 4.0 तथा ई-ग्रास[5] के डाटा के साथ संवीक्षा करने पर पाया गया कि वाहन स्वामियों द्वारा 268 वाहनों के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया था तथा 66 वाहनों के संबंध में कम भुगतान किया गया था। वाहन के सड़क पर नहीं चलने या अन्य राज्यों को स्थानांतरित होने का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। यद्यपि कर चूककर्ताओं की सूचना वाहन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध थी तथापि विभाग द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति ₹ 4.03 करोड़ की अवसूली रही। आगे, चूंकि वाहन स्वामियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट प्राधिकार के बिना इन वाहनों के संचालन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि चार जिला परिवहन कार्यालयों[6] में 89 वाहनों के संबंध में ₹ 0.37 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।

2.5 एकमुश्त कर की बकाया किश्तों की वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं[7] द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है। वाहन स्वामी की इच्छा पर एकमुश्त कर का भुगतान संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में (14 जुलाई 2014 से) एक वर्ष की अवधि में किया जा सकता है। दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक, एकमुश्त कर पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था, इसके उपरान्त अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 से अधिभार 12.5 प्रतिशत की दर से देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि की समाप्ति के पश्चात् देय कर की रकम के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित होगी।

---

3 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः बांरा, भारवाहन जयपुर, यात्रीवाहन-II जयपुर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही और सुजानगढ।

4 वाहन भारत सरकार द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है जो वाहनों से संबंधित लेनदेन यानी पंजीकरण, परमिट, कर, फिटनेस के प्रसंस्करण के लिए विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर राज्य में अक्टूबर 2009 से लागू किया गया है।

5 ऑनलाइन सरकारी रसीद लेखा प्रणाली (ई-जीआरएएस) राजस्थान सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है।

6 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः भारवाहन जयपुर, यात्रीवाहन-II जयपुर, जैसलमेर और नागौर।

7 अधिसूचनाएं संख्या 22 दिनांक 16 फरवरी 2006, 22-A दिनांक 9 मार्च 2007, 22-C दिनांक 14 जुलाई 2014 और 22-D दिनांक 8 मार्च 2016।

आठ परिवहन कार्यालयों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2019 और मार्च 2020 के मध्य) के दौरान कर खातों और जनरल इंडेक्स रजिस्टर की वाहन 4.0 तथा ई-ग्रास के डाटा के साथ संवीक्षा करने पर पाया गया कि 249 वाहनों[9] के स्वामियों ने एकमुश्त कर का भुगतान किश्तों मे करने का विकल्प लिया और एकमुश्त कर के भुगतान में चूक की। 199 वाहनों के संबंध में, स्वामियों ने पहली या दूसरी किश्त का भुगतान करने के बाद शेष किश्तों का भुगतान नहीं किया जबकि 50 वाहनों के स्वामियों ने कोई किश्त नहीं दी। वाहन के सड़क पर नहीं चलने या अन्य राज्यों को स्थानांतरित होने का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। यह भी पाया गया कि किश्तों के कम भुगतान के मामले में, वाहनों को वाहन सॉफ्टवेयर में चूककर्ताओं की सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया था। कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर (अधिभार सहित) तथा शास्ति राशि ₹ 2.17 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। आगे, चूंकि वाहन मालिकों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट प्राधिकार के बिना इन वाहनों के संचालन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरणों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों[10] में 29 वाहनों के संबंध में ₹ 0.32 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। शेष प्रकरणों में वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।

विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में कार्रवाई/ वसूली शुरू की। उपरोक्त मुद्दों को पिछले वर्षों के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में नियमित रूप से उठाया गया है। विभाग को सभी कार्यालयों में इन स्थायी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए।

खनन प्राप्तियां

2.6 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर, विभाग में संबंधित अधिनियमों और नियमों के क्रियान्वयन तथा प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान एवं छः अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान तथा एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर को सहायता प्रदान की जाती है।

8 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः आबूरोड, बांरा, भारवाहन जयपुर, यात्रीवाहन-II जयपुर, जैसलमेर, नागौर, सिरोही और सुजानगढ।

9 79 (भारवाहन) + 165 (टैक्सी) + 5 (बस)।

10 जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयः आबूरोड, बांरा, भारवाहन जयपुर, यात्रीवाहन-II जयपुर, जैसलमेर, नागौर और सुजानगढ।

अतिरिक्त निदेशक, खान अधीक्षण खनि अभियंता के नेतृत्व वाले नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते हैं ।

अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के अतिरिक्त राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण के लिये 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं । खनिजों के अवैध उत्खनन तथा निर्गमन की रोकथाम के लिये विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता) हैं ।

2.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है । यह विभागीय क्रियाकलापों को लागू कानूनों, विनियमनों तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, दक्ष तथा प्रभावी ढंग से किये जाने तथा राजस्व के असंग्रहण, कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने के अतिरिक्त अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित अभिलेखों और पंजिकाओं का उचित एवं शुद्धता से संधारण सुनिश्चित करने में सहायता करता है ।

निदेशक खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लगभग सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी । आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारियों को प्रणाली की कमजोरियों के क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की छीजत या अपवंचना हुई । यह प्रकरण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2011-12 से लगातार ध्यान में लाया जा रहा है । तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान 133 इकाइयों में से केवल आठ की लेखापरीक्षा की गई । इस प्रकार लेखापरीक्षा से शेष इकाइयों में अनियमिततायें बने रहने एवं उजागर नहीं होने का जोखिम है ।

2.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान, भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम विभागों में 154 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[11] थीं । इनमें से लेखापरीक्षा ने 43 इकाइयों[12] का, जिनमें खनन पट्टों, अधिशुल्क संग्रहण ठेकों/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों, खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन, भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली, अल्पावधि अनुमति पत्र इत्यादि के 39,788 प्रकरण[13] विद्यमान थे,

11 32 इम्प्लीमेंटिंग इकाइयों सहित ।

12 11 इम्प्लीमेंटिंग इकाइयों सहित ।

13 7,933 खनन पट्टे; 12 पेट्रोलियम खनन पट्टे; 2 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति; 115 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 8,627 खदान अनुज्ञप्तियां; खनिज के अवैध उत्खनन/निर्गमन के 5,603 प्रकरण; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली के 946 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 8,482 प्रकरण; प्रतिदाय के 893 प्रकरण; बकाया देयताओं के 1,263 प्रकरण; 5,899 अल्पावधि अनुमति-पत्र तथा 13 पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा-पत्र ।

लेखापरीक्षा हेतु चयन किया । इनमें से लेखापरीक्षा ने 26,024 प्रकरणों[14] (लगभग 65.41 प्रतिशत) की जांच की तथा 5,393 प्रकरणों (चयनित प्रकरणों के लगभग 20.72 प्रतिशत) जिनमें ₹ 184.37 करोड़ अन्तर्निहित थे, में कमियां पाई गई । ये कमियां स्थिर भाटक तथा अधिशुल्क की तथा अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की, जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड/राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड के अंशदान की अवसूली/कम वसूली, शास्ति/ब्याज का अनारोपण, प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव इत्यादि की थी । ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं तथा नमूना जांच पर आधारित हैं । लेखापरीक्षा ने पूर्ववर्ती वर्षों में समान त्रुटियां ध्यान में लाई थीं परन्तु ये अनियमितताएं कायम थी तथा अगली लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पायी थी । लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, चूकों और अन्य संबंधित मुद्दों के सारभूत अनुपात (लगभग 20.72 प्रतिशत) ने इंगित किया कि सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी जिससे ऐसी खामियों के घटित होने/पुनरावृति से बचा जा सके । पायी गयी अनियमिततायें मुख्यतः **तालिका 2.4** में दी गयी श्रेणियों में आती है:

तालिका 2.4

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**श्रेणी**		**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
1	स्थिर भाटक तथा अधिशुल्क की अवसूली/कम वसूली		197	122.59
2	अनाधिकृत उत्खनित खनिजों की कीमत की अवसूली/कम वसूली		166	20.89
3	शास्ति/ब्याज का अनारोपण		422	3.73
4	प्रतिभूति जमा की जब्ती का अभाव		964	36.16
5	जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट/राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट फण्ड की अवसूली/कम वसूली		3	0.91
6	अन्य अनियमिततायें	राजस्व	3,470	0.09
		व्यय	171	0.00
योग			**5,393**	**184.37**

वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 2,759 प्रकरणों में ₹ 146.53 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिनमें राशि ₹ 134.16 करोड़ के 2,022 प्रकरण वर्ष 2019-20 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये । विभाग ने 621 प्रकरणों में ₹ 7.18 करोड़ वसूल किये, जिनमें से राशि ₹ 0.84 करोड़ के 38 प्रकरण चालू वर्ष के तथा शेष पूर्व वर्षों के थे ।

14 2,567 खनन पट्टे; 12 पेट्रोलियम खनन पट्टे; 2 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति; 115 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके; 916 खदान अनुज्ञप्तियां; खनिज के अवैध उत्खनन/निर्गमन के 5,243 प्रकरण; राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली के 893 प्रकरण; राजस्व निर्धारण के 8,482 प्रकरण; प्रतिदाय के 893 प्रकरण; बकाया देयताओं के 1,095 प्रकरण; 5,793 अल्पावधि अनुमति-पत्र तथा 13 पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञा-पत्र ।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने दो प्रकरणों में ₹ 0.60 करोड़ वसूल किये। चूंकि संपूर्ण देय राशि वसूल की जा चुकी है अतः इन प्रकरणों की इस प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण जिनमें राशि ₹ 0.90 करोड़ निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

2.9 अवैध रूप से उत्खनित खनिज की कीमत की अवसूली

विभाग इस जानकारी के उपरांत भी कि अल्पावधि अनुमति-पत्र धारक ने अनुमत्य मात्रा के अलावा 51,125 मैट्रिक टन खनिज साधारण पत्थर का उपयोग किया था, खनिज की कीमत ₹ 86.91 लाख वसूल करने में विफल रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 63(6) के परंतुक ने प्राविधित किया कि यदि एक अनुमति-पत्र धारक अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक की सीमा तक खनिज उत्खनित करता है तथा ले जाता है तो केवल एकल अधिशुल्क लिया जायेगा। यदि अनुमति-पत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक परंतु 25 प्रतिशत तक अधिक मात्रा उत्खनित कर ले जायी जाती है तो अनुमति-पत्र धारक से दो गुना अधिशुल्क लिया जावेगा। अनुमति-पत्र धारक अनुमति-पत्र की समाप्ति के 15 दिन के भीतर अपने अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा। तथापि, यदि अनुमति-पत्र धारक ने अनुमति-पत्र में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा का उत्खनन किया तथा ले गया तो अनुमति-पत्र में स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनित तथा हटायी गयी सम्पूर्ण मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जायेगा तथा अनुमति-पत्र धारक ऐसी अधिक मात्रा की कीमत के भुगतान का उत्तरदायी होगा। आगे, उपरोक्त नियमों के नियम 48(5) ने प्राविधित किया कि जब कभी कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के या अल्पावधि अनुमति पत्र की शर्तो एवं निबंधनों के उल्लंघन में किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है और जहां इस प्रकार से उठाया गया खनिज पहले से ही निर्गमित या उपयोग किया जा चुका है, तो सक्षम प्राधिकारी खनिज की कीमत वसूल कर सकेगें जो प्रचलित दरों पर देय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर संगणित की जावेगी।

खनि अभियंता, भीलवाडा के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2020) में प्रकट हुआ कि सक्षम प्राधिकारी ने एक निर्माण कार्य ठेकेदार को 1,00,000 मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर के लिये तीन अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी (जुलाई 2013 से नवम्बर 2013 के मध्य) किये। इन तीन अल्पावधि अनुमति-पत्रों के निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारी ने सुनिश्चित किया (अगस्त 2019) कि ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन में अनुमत्य मात्रा 1,00,000 मैट्रिक टन के विरूद्ध 1,51,125 मैट्रिक टन खनिज का उपयोग किया था जैसा कि **तालिका 2.5** में वर्णित हैः

तालिका 2.5

क्र.सं.	अल्पावधि अनुमति-पत्र कमांक एवं दिनांक	अल्पावधि अनुमति-पत्र में अनुमत्य मात्रा (मैट्रिक टन)	उपयोग किये गये खनिज की मात्रा (मैट्रिक टन)	अधिक उपयोग किये गये खनिज की मात्रा (मैट्रिक टन)	उपयोग की गई अधिक मात्रा का प्रतिशत
1	24/18.7.13	25,000	38,647	13,647	54.58
2	25/18.7.13	50,000	80,747	30,747	61.49
3	56/11.11.13	25,000	31,731	6,731	26.92
	कुल	**1,00,000**	**1,51,125**	**51,125**	

चूंकि, अल्पावधि अनुमति-पत्र धारक ने सभी तीनों अल्पावधि अनुमति-पत्रों में अनुमत्य मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक खनिज का उपयोग किया था इसलिये उपयोग की गई अधिक मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन मानना अपेक्षित था तथा ऐसे खनिज की कीमत ठेकेदार से वसूली जानी चाहिये थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण प्राधिकारी खनिज की कीमत वसूलने में विफल रहे तथा खनिज के केवल एकल अधिशुल्क की वसूली की। ठेकेदार को अदेयता प्रमाण-पत्र भी जारी (अगस्त 2019) कर दिया गया था। इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिक उत्खनित खनिज की मात्रा को अनाधिकृत नहीं मानने के परिणामस्वरूप 51,125 मैट्रिक टन खनिज की कीमत ₹ 86.91 लाख[15] की अवसूली रही।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित (जून 2020) किया गया। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि मांग नोटिस जारी (जून 2020) किया जा चुका है तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वसूली की जावेगी। सरकार ने आगे उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि अल्पावधि अनुमति-पत्र धारक ने एक विधिक वाद दायर किया है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अल्पावधि अनुमति-पत्र धारक से राशि की वसूली हेतु कठोर कार्यवाही नहीं करने हेतु आदेशित किया (अगस्त 2020) है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (अगस्त 2021)।

सरकार निर्माण कार्य ठेकेदार से अनाधिकृत उत्खनित खनिज की कीमत की वसूली सुनिश्चित किये बिना अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारण प्राधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने पर विचार कर सकती है।

2.10 राजकीय राजस्व की अवसूली

ठेका राशि तथा विलम्बित भुगतान पर ब्याज की पूर्ण वसूली सुनिश्चित किये बिना विभाग ने बैंक गारंटी तथा प्रतिभूति जमा वापिस लौटा दी क्योंकि मांग एवं संग्रहण पंजिका संधारित नहीं थी।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग की हैण्ड बुक के अनुसार वसूली पर निगरानी के लिये स्थिर भाटक, अधिशुल्क, शास्ति व अन्य देयताओं की सभी मांगों को मांग एवं संग्रहण पंजिका में दर्ज करना वांछनीय है। आगे, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 44(17) के अनुसार ठेकेदार ठेका राशि की किश्त नियत तिथि को अग्रिम में भुगतान करेगा और यदि कोई

15 51,125 मैट्रिक टन खनिज चुनाई पत्थर x ₹ 17 (अधिशुल्क दर) x 10 = ₹ 86,91,250।

राशि नियत तिथि को भुगतान नहीं की जाती तो इसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में संग्रहित किया जावेगा तथा ठेके को खण्डित करने या शास्ति आरोपण के लिये की जा रही किसी अन्य कार्यवाही के उपरांत भी नियत तिथि से ब्याज प्रभारित किया जावेगा। आगे, उपरोक्त नियमों के नियम 77 के अनुसार अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि तथा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट के अंशदान से संबंधित सभी देयताओं पर नियत तिथि से 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जावेगा।

खनि अभियंता कार्यालय बीकानेर के तीन अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान (जनवरी 2020) यह पाया गया कि एक ठेकेदार के पक्ष में एक अधिक अधिशुल्क एवं जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड संग्रहण ठेका[16] वार्षिक ठेका राशि ₹ 26.15 करोड़ (जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड राशि ₹ 2.38 करोड़ सहित) पर स्वीकृत (फरवरी 2018) किया गया था। यह देखा गया कि विभाग ने केवल अधिक अधिशुल्क की किश्तों के लिये मांग कायम की तथा संग्रहण किये जाने वाले जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड के भाग को शामिल नहीं किया। ठेकेदार ने तथापि, कुल वसूली योग्य जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड राशि ₹ 2.53 करोड़ के विरूद्ध स्वयं ही 16 से 95 दिनों के मध्य की सीमा के विलम्ब से राशि ₹ 2.33 करोड़ जमा किये। लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि कार्यालय में जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड के लिये मांग एवं संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था और इसलिये जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड के अंशदान की मूल राशि एवं विलम्बित भुगतान के लिये ब्याज की मांग कायम नहीं की गयी। आगे यह भी पाया गया कि राजकीय बकाया की पूर्ण वसूली को सुनिश्चित किये बिना ठेकेदार को बैंक गारंटी एवं प्रतिभूति जमा को मुक्त (मई 2019) कर दिया गया था।

इस प्रकार जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड के लिये मांग एवं संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं करने तथा राजकीय बकाया की वसूली सुनिश्चित किये बिना बैंक गारंटी तथा प्रतिभूति जमा को मुक्त करने के परिणामस्वरूप ₹ 24.00 लाख के राजस्व की अवसूली रही (मूल राशि ₹ 19.82 लाख तथा विलम्बित भुगतान पर ब्याज ₹ 4.18 लाख)।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित (जून 2020) किया गया। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि चूंकि लेखापरीक्षा ने अपनी गणना में ठेकेदार द्वारा पूर्व में ही जमा ₹ 19.81 लाख शामिल नहीं किये थे इसलिये ठेकेदार के विरूद्ध केवल ₹ 3.06 लाख की राशि ही बकाया थी। आगे, ₹ 3.06 लाख भी जमा कर दिये गये (जून 2020) थे। उत्तर मांग एवं संग्रहण पंजिका संधारित नहीं करने तथा राजकीय बकाया कि पूर्ण वसूली सुनिश्चित किये बिना बैंक गारंटी मुक्त करने के संबंध में मौन था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभाग का आंतरिक नियंत्रण तंत्र संग्रहण किये जाने वाले राजस्व की सुरक्षा में प्रभावी नहीं था एवं मजबूत किया जाना अपेक्षित था।

16 ठेका 8 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिये जिला बीकानेर के राजस्व क्षेत्र में अवस्थित स्वीकृत पट्टा क्षेत्रों से निर्गमित बाल क्ले, चायना क्ले, सफेद क्ले, फायर क्ले, सिलिका सैण्ड, रेड ओकर तथा यलो ओकर पर अधिक अधिशुल्क एवं जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट फण्ड राशि के अंशदान के संग्रहण के लिये था।